

Date: 03/03/2021

निमित्त
उप वन संरक्षक,
बून्दी (राजस्थान)

Subject: Compliance Report of EDS Letter regarding Forest diversion Proposal No. FP/RJ/ROAD/29812/2017.

Ref : पत्र क्रमांक एफ2 () वन संरक्षण/उवसं/2020/7700 दिनांक 16.12.2020

Dear Sir,

With reference to above mentioned Subject, we have received the EDS vide above cited letter regarding Forest Diversion Proposal **"Laxmipura-Dora-Dabi-Ranaji Ka Guda NH-12, in the State of Rajasthan"**.

We have incorporated all the comments and uploaded the required document on **MoEFCC** Web portal for your reference and further processing please.

Point Wise Compliance Report

Point No.	EDS Observation by Forest Department	Reply by User Agency
1	उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि आप प्रस्तावित Laxmipura-Dora-Dabi-Ranaji Ka Guda NH-12 सड़क में आर0ओ0डब्लू0 सहित आने वाले वृक्षों की मौके पर पृथक-पृथक पातन एवं छंटाई योग्य वृक्षों की मार्किंग कर क्षेत्रीय वन अधिकारी डाबी से संपर्क कर सयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट जिसमें प्रस्तावित सड़क में आने वाले वृक्षों की मौके पर पृथक-पृथक पातन एवं छंटाई योग्य वृक्षों की गणना प्रजातिवार, लम्बाई एवं गर्तवार का स्पष्ट उल्लेख हो, भेजना सुनिश्चित करे ताकि उक्त प्रकरण में पार्ट-2 फोरेस्ट क्लीरेयंस पर अपलोड करते समय पेड़ों का प्रजातिवार विवरण ऑनलाइन किया जा सके।	उक्त बिन्दु की अनुपालना कर दी गई है। पत्र क्रमांक 17 दिनांक 11.01.2021 की प्रति संलग्न है।
2	हार्डकॉपी में आप द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र 32.3264 है0 एवं ऑनलाइन में क्षेत्रफल 33.7656 है0 उल्लेखित किया गया है उक्त भिन्नता का भी कारण स्पष्ट करें।	संशोधित हार्डकॉपी आपके कार्यालय में जमा करवा दी गई है।
3	प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले गैर वन भूमि आवंटन हेतु भी आप द्वारा अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया गया है। जबकि ऑनलाइन पार्ट-II की पूर्ति हेतु गैर वन भूमि की के0एम0एल0 फाइल एवं भूमि उपर्युक्तता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। अतः आप उक्त पूर्ति पश्चात प्रस्ताव कार्यालय स्तर पर अग्रेषित करें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।	प्रत्यावर्तित वन भूमि के बदले गैर वन भूमि का आवंटन करवा कर एवं गैर वन भूमि की के0एम0एल0 फाइल एवं भूमि उपर्युक्तता प्रमाण पत्र ऑनलाइन पार्ट-I के बिन्दु संख्या L. Details of land identified for Compensatory Afforestation पर अपलोड कर दी गई है।


(राजेश मोदी)
परियोजना निदेशक (पी. पी. पी.)
सा. नि. वि. अजमेर

Place: Ajmer

Date: 03.03.2021

Signature of User Agency

Office Seal

कार्यालय परियोजना निदेशक (पी.पी.पी) सा.नि.वि. कोटा

क्रमांक : 17

दिनांक :- 11.01.2021

श्रीमान उपवन संरक्षक, बून्दी,
वन विभाग, बून्दी।

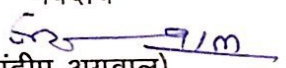
विषय:-राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम (RSHIP) के एशियन विकास बैंक (ADB) ट्रांच-II के अन्तर्गत वित्तपोषित निजी जन सहभागिता (PPP) के अन्तर्गत बून्दी जिले की सडक NH-12 से लक्ष्मीपुरा - डोरा - डाबी - राणा जी का गुढा (SH-115) चैनेज कि.मी. 0/0 से कि.मी. 49/600 जारी स्वीकृति के सम्बन्ध में बून्दी जिले की आ रही वन भूमि 32.3264 हैक्टर को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव:- वन भूमि 32.3264 है0 में प्रभावित वृक्षों की सूची।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि NH-12 से लक्ष्मीपुरा - डोरा - डाबी - राणा जी का गुढा (SH-115) चैनेज कि.मी. 0/0 से कि.मी. 49/600 के कुल 32.3264 है0 वन भूमि पर 16 मीटर कुल चौड़ाई में अवस्थित पातन योग्य पेड़ों तथा झाड़ियों को चिन्हित कर अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाया जा रहा है।

अतः आपसे निवेदन है कि उक्त पेड़ों तथा झाड़ियों का मौके पर सत्यापन करने हेतु सम्बन्धित कर्मचारी / अधिकारी को आवश्यक निर्देश प्रदान करें, जिससे सन्दर्भित सडक हेतु आवश्यक 32.3264 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रकरण में आपके स्तर से अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:- पेड़-पौधों एवं झाड़ियों की सूची।

भवदीय

(संदीप अग्रवाल)
परियोजना निदेशक
(पी.पी.पी) सा.नि.वि.
कोटा।

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ :-

1. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (पीपीपी) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् जिला कलेक्टर, बून्दी।


परियोजना निदेशक
o/c (पी.पी.पी) सा.नि.वि. कोटा।